न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मस्तराम बनाम हरजी वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या –: 44/2025 (रूपनगढ)

	श्री हसन खान	
09.01.2025	मस्तराम बनाम हरजी वगैरह (2025/44) यह अपील हसन खान एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 01/2025 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर सुनवाई हेतु अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर उनको प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया तथा उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 02.01.2025 को सुना जाकर अन्तरिम स्थगन आदेश पारित कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। वर्तमान अपीलांट/अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

राजस्व अपील संख्या......44/2025 2025/44

1. मस्तराम पुत्र स्व0 श्री कानाराम उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलान्ट/अपीलार्थी

बनाम

2025/44
9.01.25

1. हरजी पुत्र कल्याण
2. गोरधन पुत्र सुखाराम
3. नन्दाराम पुत्र सुखाराम
4. मोहनराम चौधरी पुत्र सुखाराम
5. श्योजीराम पुत्र कामड़
6. महादेव पुत्र कानाराम
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
7. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

---रेस्पोडेन्टस्/प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.01.2025 बउनवानी हरजी व अन्य बनाम मस्तराम वगैरह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025 में पारित आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रूपनगढ़ के विरूद्ध ।

महोदय,

अपीलान्ट्/अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन है कि :–

मस्तराम

Scanned with CamScanner